Toppersnotes®
Unleash the topper in you

CISF

Fireman Constable

Central Industrial Security Force (CISF)

भाग – 4 (ब)

सामान्य हिन्दी

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	वर्ण विचार	1
2	संज्ञा	5
3	सर्वनाम	7
4	विशेषण	8
5	वाच्य	9
6	कारक	11
7	विराम चिन्ह	14
8	संधि	17
9	समास	33
10	लिंग	39
11	वचन	42
12	उपसर्ग	43
13	प्रत्यय	52
14	शब्द युग्म	60
15	देशज शब्द	69
16	तत्सम – तद्भव शब्द	73
17	अव्वय – अविकारी शब्द	75
18	वर्तनी शुद्धि	78
19	वाक्य विचार	91
20	वाक्य के लिए एक शब्द	98
21	विलोम शब्द	104
22	अनेकार्थक शब्द	110
23	मुहावरे	113

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	लोकोक्तियाँ	119

4 CHAPTER विशेषण

परिभाषा

संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है।

जो शब्द विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहा जाता है।

जैसे – छोटा जादूगर करतब दिखा रहा है ।

यहाँ छोटा शब्द विशेषण है तथा जादूगर विशेष्य (संज्ञा) है।

विशेष – विशेषण की पहचान का तरीका

किसी भी वाक्य में कैसा/कैसी/कैसे अथवा कितना/कितनी/कितने शब्दों से प्रश्न किये जाने पर इसके उत्तर के रूप में जो कोई भी शब्द लिखा जाता है। यह विशेषण माना जाता है।

जैसे –

(i) अंकित कैसा लडका है ?
उत्तर – अंकित अच्छा/बुरा/भला/शैतान/चंचल लडका है।

(ii) हरी तुम्हारे पास कितनी गायें है ?
उत्तर – मेरे पास पाँच/दस/सौ/हजारों गाये है।

विशेषण के भेद – विशेषण मूलतः चार प्रकार के होते है।

1. गुणवाचक विशेषण
2. संख्यावाचक विशेषण
3. परिमाणवाचक विशेषण
4. संकेतवाचक (सार्वनामिक) विशेषण
5. व्यक्ति वाचक विशेषण

1. गुणवाचक विशेषण

ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, दशा, स्थिति, स्थान, काल, समय, आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं, वहाँ गुणवाचक विशेषण माना जाता है।

जैसे – कृष्णमृग, सुन्दर बालिका, भले लोग, गंदी बस्ती, बड़ा लड़का, पुराना मकान आदि।

2. संख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करे। एक, दूसरी, चौगुनी, दोनों, शतक, दर्जनों, अनेक आदि।

3. परिमाण वाचक विशेषण

ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ में मात्रा को प्रकट करते है उनमें परिमाण वाचक विशेषण माना जाता है ।

जैसे – दो लीटर तेल, हजार टन गेहूँ, थोडा सा पानी

4. सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण

विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते है।

जैसे – (i) यह किताब मेरी है। (ii) वह लडका खाना खा रहा है। (iii) जो लोग मेहनत करते है वे अवश्य अपनी मंजिल पाते है।

5. व्यक्तिवाचक विशेषण

ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है परन्तु वाक्य में विशेषण का काम करती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं।

उदाः नागपुरी संतरे, कश्मीरी सेब, बनारसी साड़ी

विशेषण की अवस्थाएँ – 3 होती है।

(i) मूलावस्था – जो विशेषण शब्द अपने मूल रूप में लिखा जाता है।

जैसे – अतुल एक अच्छा लड़का है।

(ii) उत्तरावस्था – जब कोई विशेषण शब्द दो पदार्थो की तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है।

जैसे – (i) गंगा यमुना से पवित्र नदी है।
(ii) मानसी पटुतर लड़की है।

पहचान – जब किसी विशेषण शब्द से पहले 'से' शब्द लिखा हो अथवा विशेषण के बाद 'तर' प्रत्यय जुडा हो तो वहाँ उत्तरावस्था मानी जाती है।

(iii) उत्तमावस्था – जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थो में से किसी एक को चुनने में काम आता है, वहाँ उत्तमावस्था मानी जाती है।

पहचान – जब विषेशण शब्द से पहले सबसे शब्द या विशेषण के बाद तम/इष्टा/तरीन प्रत्यय लगा हो वहाँ उत्तमावस्था होगी।

जैसे – (i) स्नेहा कक्षा की पटुतम बालिका है।
(ii) नवीन सबसे अच्छा लडका है।
(iii) विद्यालय में व्यवस्थाएँ बेहतरीन है।

प्रविशेषण

ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते है, वे प्रविशेषण कहलाते है।

जैसे – (i) वह बहुत तेज दौड़ता है।
(ii) अवनी अत्यंत सुंदर बालिका है।

5 CHAPTER वाच्य

वाच्य का अर्थ है – बोलने का तरीका।
हिंदी में तीन प्रकार के वाच्य होते हैं– 1. कर्तृवाच्य 2. कर्मवाच्य 3. भाववाच्य

(1) कर्तृवाच्य

जिस वाक्य में बोलने का बिंदु कर्ता होता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है । कर्तृवाच्य में कर्ता को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है ।

1. लड़का खाना खाता है । (लड़के के खाना खाने पर कहा गया है ।)
2. लड़की पुस्तक पढ़ेगी । (लड़की के पुस्तक पढ़ने के बारे में बताया गया है।)

कर्तृवाच्य में क्रिया रूप

कर्तृवाच्य वाक्य दो प्रकार का होता है–

(i) क्रिया कर्ता के अनुसार आती है अर्थात् क्रिया का लिंग, वचन कर्ता के अनुसार होता है जैसे–
- सुनीता आम खाती है । (कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग)
- मनीष खीर खाता है । (कर्ता–पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग)

(ii) क्रिया कर्म के अनुसार–भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के आगे 'ने' कारक चिह्न लगता है और क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर कर्म के लिंग–वचन के अनुसार आती है जैसे–
- सुनीता ने आम खाया। (कर्ता स्त्रीलिंग किंतु कर्म (आम) पुल्लिंग, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग है ।
- विवेक ने खीर खाई । (कर्ता पुल्लिंग किन्तु कर्म (खीर) स्त्रीलिंग इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग है ।)

कर्तृवाच्य में क्रियाएँ

कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है ।

- पुनीत दौड़ता है । (अकर्मक क्रिया)
- पुनीत पुस्तक पढ़ता है । (सकर्मक क्रिया)

(2) कर्मवाच्य

जिस वाक्य में कहने का बिंदु कर्ता न होकर कर्म होता है वहॉ कर्मवाच्य होता है, अर्थात् कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है । जैसे–

- खाना लडके द्वारा खाया जाता है । (खाना–कर्म को केन्द्र में रखकर कथन किया गया है ।)
- पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाएगी । (पुस्तक–कर्म को केन्द्र में रखकर किया गया है ।)

कर्मवाच्य वाक्य की पहचान

(i) वाक्य में क्रिया का कर्ता कर्ताकारक में न रहकर करण कारक बन जाता है और कर्ता के आगे करण कारक का कारक –चिह्न से या के द्वारा लग जाता है।

(ii) क्रिया कर्म के अनुसार आती है।
लड़के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। इस वाक्य में पुस्तक को पढ़नेवाला लड़का तो कर्ण कारक में है, उसके आगे 'के द्वारा' कारक–चिह्न लगा हुआ है तथा क्रिया कर्ता के लिंग–वचन के अनुसार न आकर कर्म के लिंग–वचन के अनुसार रही है इसे 'कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग' कहा जाता है।
पुस्तक (स्त्रीलिंग) पढ़ी गई (स्त्रीलिंग)
– लड़की द्वारा पत्र पढ़ा गया ।
पत्र (पुल्लिंग) पढ़ा गया (पुल्लिंग)

(iii) कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक ही होती है, अकर्मक नहीं। अकर्मक क्रिया या वो कर्तृवाच्य में होती है या भाववाच्य में।

(iv) कर्मवाच्य में भी यदि कर्म के आगे कोई कारक–चिह्न आ गया तो क्रिया न कर्ता के अनुसार आएगी, न कर्म के अनुसार बल्कि एकवचन पुल्लिंग में क्रिया आती है, इसे 'कर्मवाच्य भावे प्रयोग' कहा जाता है।
- लड़की ने खीर को रख लिया है।
- लड़के ने आम को खा लिया है।

यहाँ 'को' कारक चिह्न के लग जाने से क्रिया– 'खा लिया है' एकवचन पुल्लिंग रूप में है । चाहे कर्ता पुल्लिंग (लड़का) हो या स्त्रीलिंग (लड़की) और चाहे कर्म पुल्लिंग (आम) हो चाहे स्त्रीलिंग (खीर) ।

(3) भाववाच्य

जिस वाक्य में कहने का केंद्रीय विषय न कर्ता होता है और न कर्म बल्कि भाव विशेष होता है, वहाँ भाववाच्य होता है । जैसे–

1. मुझसे चला नहीं जाता। (चले नहीं जाने की असमर्थता के भाव को केंद्र में रखकर कथन किया गया है।)
2. अब तो मरीज से चला जाता है । (मरीज द्वारा चल पाने की सामर्थ्य के भाव को लेकर कथन है।)

भाववाच्य की पहचान

(i) कर्ता करण कारक में होता है । (मरीज से)

(ii) वाक्य में कर्म होता ही नहीं, क्रिया अकर्मक रूप की ही होती है।

(iii) क्रिया हमेशा एकवचन पुल्लिंग में होती है । (चला नहीं जाता)

(iv) सामान्यतः भाववाच्य किसी क्रिया के न कर सकने के अर्थात् असमर्थता के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, (चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता आदि) किंतु सकारात्मक अर्थ में भी भाववाच्य हो सकता है, जैसे –

- अब तो मरीज से बोला जाता है।
- लडके से दौड़ा जाता है।
- लडकी से दौड़ा जाता है।
- रमा से खडा हुआ नहीं जाता।

वाच्य और प्रयोग

सामान्यतः कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है और भाववाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही कर्म के अनुसार बल्कि क्रिया भाव के अनुसार होने के कारण अन्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन में होती रहती है किंतु कर्तृवाच्य में भी क्रिया, कर्ता–कर्म एवं भाव तीनों के अनुसार हो सकती है, जिसे हिंदी व्याकरण में 'भावे प्रयोग' कहा जाता है । प्रयोग तीन प्रकार के होते हैं–
कर्तरि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग।

(क) कर्तृवाच्य

1. **कर्तृवाच्य–कर्तरि प्रयोग–** इसमे क्रिया कर्ता के अनुसार होती है।
   - लड़का पुस्तक पढ़ता है। (कर्तृवाच्य कर्तरि प्रयोग)
   - लड़की पुस्तक पढ़ती है। (कर्तृवाच्य कर्तरि प्रयोग)
2. **कर्तृवाच्य–कर्मणि प्रयोग–** इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है।
   - लड़के ने पुस्तक पढ़ी। (कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग) भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के आगे 'ने' कारक–चिह्न लगता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर कर्म स्त्रीलिंग (पुस्तक) के अनुसार आती है।
   - **लड़की ने पत्र पढ़ा। इसमें भी कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग है।**
3. **कर्तृवाच्य–भावे प्रयोग–** कर्तृवाच्य भावे प्रयोग में वाच्य तो कर्तृ होता है किंतु क्रिया सदैव भावे रूप अर्थात् **एकवचन पुल्लिंग में होती है; जैसे–**
   - **लड़के ने पुस्तक को पढ़ा ।**
   - **माँ ने बच्चे को खिलाया ।**

इन दोनों वाक्यों में कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता के आगे 'ने' कारक–चिह्न लगा हुआ है । पहले वाक्य में पुस्तक एवं दूसरे वाक्य इसे कर्तृवाच्य कर्मणि–प्रयोग कहते हैं । इसी तरह बच्चा कर्म भी है किंतु इनके आगे कर्मकारक का 'को' कारक–चिह्न लगा हुआ है । इस कारक–चिह्न के लगने से अब क्रिया कर्म के अनुसार ही अपना रूप नहीं लेती बल्कि अब वह भाववाच्य की तरह एकवचन, पुल्लिंग का ही रूप लेती है– 'पढा', 'खिलाया'; इसे क्रिया का भावे प्रयोग कहते है ।

(ख) कर्मवाच्य

1. **कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग**

   कर्म वाच्य में सामान्यतः क्रिया कर्म के अनुसार आती है; जैसे–
   - पुस्तक लडके द्वारा पढी जाती है । (कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग) यहॉ वाक्य कर्मवाच्य है तथा क्रिया भी कर्म के अनुसार आ रही है ।
   - पत्र लड़की द्वारा पढा जाता है । (कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग)
2. **कर्मवाच्य भावे प्रयोग**

   कर्मवाच्य में क्रिया भाव वाच्य की तरह एकवचन पुल्लिंग में भी हो सकती है, उसे कर्मवाच्य भावे प्रयोग कहते है।
   - लडके द्वारा पुस्तक को पढा गया।
   - लडकी द्वारा पत्र को पढा गया।

कर्म के बाद 'को' कारक–चिह्न लगने के कारण क्रिया कर्म के अनुसार न आकर भावे प्रयोग की तरह एकवचन पुल्लिंग में ही रहती है, यही कर्मवाच्य भावे प्रयोग है ।

(ग) भाववाच्य

1. **भाववाच्य भाव प्रयोग**

   भाववाच्य में तो क्रिया का सदैव भावे प्रयोग ही होता है– एकवचन पुल्लिंग।
   - पक्षियों से उडा नहीं जाता।
   - चिडिया से उडा नहीं जाता।
   - कबूतर से उडा जाता है।

6 CHAPTER

कारक एवं विभक्ति

कारक

- संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित हो सकता है, उसी रूप को कारक कहते हैं।
- हिन्दी में कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं।
- कारकों का विभक्ति सहित परिचय निम्न है–

	कारक	विभक्ति चिह्न	वाक्य प्रयोग
1.	कर्ता	ने	राजू ने पत्र लिखा। राजू पत्र लिखता है।
2.	कर्म	को	राम पुस्तक पढ़ता है। राम ने रावण को मारा।
3.	करण	से, के द्वारा	श्याम ने कलम से पत्र लिखा। श्याम के द्वारा कलम से पत्र लिखा गया।
4.	संप्रदान	को, के लिए	राज को पुस्तक दे दो। सरला के लिए सामान मँगवाओं।
5.	अपादान	से (पृथकता)	पेड़ से पत्ता गिरा। घोड़े पर से राज गिरा।
6.	संबंध	का, के, की, रा, रे, री	यह पुस्तक राम की है। मेरी पुस्तक है। मेरे पिताजी है।
7.	अधिकरण	में, पर	छत पर मत जाओ। नदी में तैरो।
8.	संबोधन	हे! अरे! ओ	हे राम! हम पर कृपा करो। ओ मूर्ख! ठहर जाओ।

1. कर्ता कारक

कर्ता का अर्थ करने वाला होता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, उसे कर्ता कहते हैं।

उदाहरण – बच्चे खेलते हैं।
राज जयपुर जाता हैं।
मानसी नृत्य करती है।
पूजा ने चित्र देखे।

नोट –

- कर्ता कारक प्रायः कभी–कभी विभक्ति रहित होते हैं व कभी विभक्ति सहित होते हैं। जब कर्ता विभक्ति रहित हो तब 'कौन' लगाकर प्रश्न करें – जो पद उत्तर में होगा वो ही कर्ता होगा।
  जैसे –
  छात्र पुस्तक पढ़ते हैं – कौन पढ़ते हैं – छात्र।
- कभी–कभी कर्ता के साथ 'ने' चिह्न ना आकार कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के साथ अन्य चिह्न भी आते हैं।
  जैसे – 'को'
  राज को कल क्रिकेट खेलना हैं।
- कभी–कभी कर्ता के साथ 'से' या 'के द्वारा' इत्यादि करण कारक के विभक्ति चिह्न जुड़ें होने पर भी कर्मवाच्य व भाववाच्य पदों में कर्ता कारक माना जाएगा।
  (i) दादाजी से चला नहीं जाता है। (भाववाच्य)
  (ii) राम के द्वारा लिखा जाता है।
- कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में नकारात्मक वाक्यों के साथ 'से' का प्रयोग होता है व सकारात्मक वाक्यों के साथ 'के द्वारा' का प्रयोग होता है।
  जैसे – राज के द्वारा क्रिकेट खेला गया।
  विमला से पुस्तक नहीं पढ़ी गई।

2. कर्म कारक

कर्ता जहाँ पर सर्वाधिक जोर देता है या सर्वाधिक चाहता है, उसे कर्मकारक कहते हैं अर्थात् संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं।

उदाहरण –
(i) राम ने रावण को मारा।
(ii) राधा पुस्तक पढ़ती है।
(iii) भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रौंद डाला।

नोट –

- कर्मकारक भी विभक्ति सहित व रहित दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है।
- कर्म जब 'प्राणीवाचक' हो तब 'को' जुड़ेगा व कर्म 'अप्राणीवाचक' हुआ तो 'को' का प्रयोग नहीं होता हैं।
  जैसे – राज अतुल को पढ़ाता है।
  मोर नाच दिखाता है।
- दोनों ओर, चारों ओर, की ओर जहाँ होते है वहाँ पर कर्म कारक होता हैं।
  जैसे – विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं।
  मैदान के चारों ओर बच्चे दौड़ रहे थे।
  राधा मन्दिर की ओर जा रही थी।
- निकट, पास, दूर, वार, तिथि व समय प्रकट करने वाले शब्दों में कर्मकारक होता हैं।
  जैसे – विद्यालय के पास मन्दिर है।
  तुम मंगलवार को आगरा चले जाना।

3. करण कारक

वाक्य में जिस साधन के माध्यम से क्रिया का व्यापार सम्पादन हो उसे कर्म कारक कहते हैं।

उदाहरण –

- मैं आपको आँखों देखी घटना बता रहा हूँ।
- छात्रों को पत्र से परीक्षा की सूचना मिली।
- आज भी संसार में लाखों पशु अकाल से मर रहे हैं।
- कानों सुनी बात हमेशा सत्य होती है।

विशेष

(i) जहाँ पर समानता का भाव प्रकट हो वहाँ करण कारक होता है।
उदाहरण – राज के समान अतुल भी मूर्ख है।

(ii) जिस चिह्न से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान हो वहाँ करण कारक होता है।
उदाहरण –
वह काले कोट से वकील लगता है।
वह कमण्डलु से साधु प्रतीत होता है।

(iii) जिसके साथ में हो, उस शब्द में करण कारक होता है।
उदाहरण –
राज के साथ श्याम विद्यालय गया था।
सीता राम के साथ वन गई।

4. सम्प्रदान कारक

जिस प्राणी या वस्तु के हित के लिए क्रिया व्यापार का सम्पादन किया जाता है उसे सम्प्रदान कारक कहा जाता है।

उदाहरण –

- क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी ने गरीब लोगों के लिए अनाज और कपड़ें बँटवाए।
- राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए।
- राम के हित लक्ष्मण भी वन गए थे।

विशेष

- जहाँ पर वस्तु पूर्ण रूप से दे दी गई हो वहाँ सम्प्रदान कारक होता है बल्कि वस्तु को पुनः लेने का भाव हो वहाँ पर कर्म कारक होता है।
  जैसे – अनिल ने धोबी को वस्त्र दिए।
- जहाँ पर कोई रूची का भाव प्रकट हो वहाँ पर सम्प्रदान कारक होता है।
  जैसे – राम को खीर अच्छी लगती है।
- जहाँ अभिवादन, कल्याण, कामना, कहना या निवेदन करने के योग में सम्प्रदान कारक होता है।
  जैसे – छात्रों का कल्याण हो।
  राम अपने पिताजी से निवेदन कर रहा था।
  बड़ों को नमस्कार।

5. अपादान कारक

अपादान अलग होने का भाव प्रकट करता है अर्थात् संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं।

उदाहरण –

- राज घोड़े से गिर गया।
- गंगा हिमालय से निकलती है।
- किसान फसल से पशुओं को हटाता है।

विशेष

प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय, तुलना, सीखने के अर्थ में भी अपादान कारक होता हैं।

जैसे –

- राज को गंदगी से घृणा है।
- हिरण शेर से बहुत डरता है।
- राजू अपने पिताजी से बहुत लजाता है।
- छात्र अध्यापक से शिक्षा लेते हैं।
- सरोज गाड़ी से जयपुर गयी। (करण)
- सरोज गाड़ी से गिर गयी। (अपादान)
- वह विद्यालय से आया। (अपादान)
- वह जीप से आया। (करण)

6. संबंध कारक

वाक्य के जिस पद से किसी वस्तु व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते है।

उदाहरण –

- राजकुमार मदन का पुत्र है।
- यह राधा की पुस्तक है।
- लड़कें के कपड़े कहाँ पर हैं ?

विशेष

- संबंध कारक के परसर्ग में, रा, रे, री, का, के, ना, ने, अवस्था, निश्चय, लक्षण, शीघ्रता, लोकोक्तियों में समय, मूल्य, परिणाम आदि में संबंध कारक का प्रयोग किया जाता हैं।

उदाहरण –

- दस रुपये की थाली।
- राजा का रंक।
- आज भी दूध का दूध और पानी का पानी होता हैं।
- सब के सब चले गये रह गये बस आप।
- राई का पहाड़।
- मेरी पुस्तक कहाँ है ?
- मोहन के कपड़े कहाँ हैं ?
- यह कृष्ण का घर है।

7. अधिकरण कारक

क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है अर्थात् वाक्य में क्रिया का आधार आश्रय, समय या शर्त का कार्य करने वाला संज्ञा पद अधिकरण कारक कहलाता हैं।

अधिकरण कारक की विभक्तियाँ

के ऊपर, में, पर, अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर आदि।

उदाहरण –

- मोर छत पर नाच रहा है।
- राम पेड़ पर बैठा है।
- माऊण्ट आबू पर चढ़ना आसान नहीं है।
- वह द्वार – द्वार भीख माँगता फिरता है।
- माता पुत्री से स्नेह करती है।

विशेष

जहाँ किसी को बहुतों में अच्छा या बुरा बतलाया जाए या जिससे तुलना की जाए, समयावधि सूचित करने में अधिकरण कारक होता हैं।

उदाहरण –

- छात्रों में मुकेश समझदार है।
- अशोक ने पाँच दिनों में सारा काम कर लिया।
- अशोक आज तुम्हारे घर सोना बरसेगा।

8. सम्बोधन कारक

- जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा सम्बोधित करने का बोध हो सम्बोधन कारक कहलाता है।
- सम्बोधन प्रायः कर्ता का ही होता है –
  हे भगवान! अब क्या होगा।
  बच्चो! घर जाओ।
  अरे राज! तु वहाँ क्या कर रहा है।
  ओ अतुल! जरा इधर तो आना।

विशेष

- सर्वनाम शब्दों में कभी सम्बोधन नहीं होता है। कई बार नाम पर जोर देकर सम्बोधन का काम चला लिया जाता है।

जैसे – अशोक जल्दी चलो।

- कभी–कभी सम्बोधन शब्द संज्ञा के साथ नहीं आते हैं जबकि अकेले ही प्रयुक्त होते हैं।
  जैसे – अरे, इधर आओ।
- संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी–कभी अव्यय शब्दों का भी प्रयोग होता हैं।
- सम्बोधन कारक के चिह्न सम्बोधन संज्ञा से पूर्व आते हैं–
  संबोधित ईकारान्त, ऊकारान्त संज्ञा, संबोधन के समय ह्रस्व हो जाती हैं।
  हे पृथ्वी! हे नदी! अभि सुंदरी!
  हे स्वामी! हे दामिनी! हे वधू!
  हे सीते! इत्यादि

विभक्ति

- वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम को कर्ता, कर्म, करण आदि में विभक्त करने वाले शब्द चिह्न जो कारकों का रूप प्रकट करने के लिए कारकों के साथ लगते हैं विभक्ति कहलाती हैं।
- विभक्ति दो प्रकार की होती है–
  1. संश्लिष्ट विभक्ति
  2. विश्लिष्ट विभक्ति

संश्लिष्ट विभक्ति

जो विभक्तियाँ सर्वनाम शब्दों के साथ उनकी शिरोरेखा से मिलाकर लिखी जाती है उसे संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। जैसे – आपका, आपने, मैंनें, मुझको, उसका, उसमें, इसमें, इसने, उसको आदि।

विश्लिष्ट विभक्ति

ऐसी विभक्तियाँ जो संज्ञा नाम से अलग लिखी जाती हैं उन्हें विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं–
दीपक ने, महेश को, देवेन्द्र से, प्रमोद के लिए, राधा को कृष्ण से, सेना में, छत पर, मोहन ने।

कारक	विभक्ति	वाक्य प्रयोग
कर्ता	ने	देव ने पत्र लिखा।
कर्म	को	देव पुस्तक पढ़ता है।
करण	से, के द्वारा	राज ने कलम से पत्र लिखा।
संप्रदान	को, के लिए	भिखारी को आटा दे दो।
अपादान	से, (पृथकता)	पेड़ से पत्ता गिरा।
संबंध	का, के, की, रा, रे री	यह घर राम का है।
अधिकरण	में, पर	नदी में तैरो।
संबोधन	हे, अरे, ओ	हे देव! हम पर कृपा करो।

Unleash the topper in you

7 CHAPTER

विराम चिह्न और उनके प्रयोग

'विराम' का अर्थ है– विश्राम अथवा ठहराव। भाषा द्वारा जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तब एक विचार या उसके कुछ अंश को प्रकट करने के पश्चात् हम थोड़ा रुकते हैं, इसे ही 'विराम' कहते हैं और इसे स्पष्ट करने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही 'विराम–चिह्न' कहते हैं।

विराम–चिह्नों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है यानी अर्थ बदल जाता है । नीचे लिखे वाक्यों को देखें:

रोको, मत जाने दो। (रोक लो, वह जाने न पाए)

रोको मत, जाने दो। (छोड़ दो, मत रोको)

हिन्दी भाषा में निम्नलिखित प्रकार के चिह्नों का प्रयोग किया जाता है । इन चिह्नों को दो भागों में बॉटा जा रहा है–विराम–चिह्न और मनोभाव या भाव–चिह्न ।

1. विराम–चिह्न

(क) पूर्ण विराम (Full stop)– (। या .)

यह चिह्न एक अभिप्राय की समाप्ति को सूचित करता है । अतएव, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है ।

जैसे– हमें पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना चाहिए। पेड–पौधे प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं।

(ख) अपूर्ण विराम या उपविराम (Colon)– (:)

जहॉ एक वाक्य के समाप्त हो जाने पर भी विवक्षित भाव समाप्त नहीं होता, आगे की जिज्ञासा बनी रहती है, वहॉ पूर्ण विराम से कम देर तक ठहरते हुए आगे तब तक बढते जाते हैं, जब तक वक्तव्य पूरा नहीं होता। उस जगह पर अपूर्ण विराम का प्रयोग देखा जाता है

जैसे– शब्द और अर्थ के बीच तीन में से कोई संबंध हो सकता है : **अभिधा, लक्षणा, व्यंजना।**

(ग) अर्द्ध विराम (Semicolon)– (;)

1) **जहाँ अपूर्ण विराम** से भी कम ठहराव का संकेत होता है, वहाँ इस तरह के चिह्न का प्रयोग होता है।

जैसे – हमने देखा है कि जिन्दगी का रास्ता कितना लम्बा और कठिन है; यह देखा है कि हर कदम पर कठिनाई कम होने के बजाय और बढ़ती ही जाती है, यह भी देखा है कि किस तरह लोग अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से ऊबकर मौत तक को गले लगा लेते है ।

2) यदि खंडवाक्य का आरंभ वरन्, पर, परन्तु, किन्तु, क्योंकि, इसलिए, तो भी आदि शब्दों से हो तो उसके पहले इसका प्रयोग करना चाहिए ।

जैसे – आरा, छपरा और बॉकीपुर के लोगों की आँखें डबडबाई हुई हैं; क्योंकि अभी–अभी पता चला हैं कि वीर कुँवर सिंह परलोक सिधार गए ।

3) लगातार आनेवाले पदबंधों के बीच भी अर्द्ध–विराम का प्रयोग किया जाता है।

जैसे – सुबह के शीतल, मंद, सुगंधित समीरन के झोंकों से कलियाँ खिलखिला उठती हैं; वृक्षों की छोटी–बड़ी टहनियाँ झूम उठती हैं; रात की नींद का आनंद लेकर जीव–जगत पूर्वदिन का क्लेश कौन भूल जाता है; पक्षियों के सुमधुर कलरव से वातावरण गुंजायमान हो जाता है और धीरे–धीरे बाल अरूण अंधकार रूपी राक्षस को लील जाता है।

(घ) अल्प विराम (Comma)– (,)

अल्पविराम का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है । इसमें बहुत कम ठहराव होता है । इस चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है–

1) जहाँ एक प्रकार के अनेक शब्द या शब्द समूह आये और योजक (और, तथा, एवं व आदि) का प्रयोग केवल अंतिम दो के बीच आये, वहाँ शेष दो के बीच अल्पविराम आता है ।

जैसे–राजा दशरथ के चार लड़के थे– राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न । {दो संज्ञाओं के बीच)

- चारों भाई सुन्दर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे । {दो विशेषणों के बीच)
- चारो साथ–साथ खेलते, खाते, पढ़ते और टहलते थे । {दो क्रियाओं के बीच)

2) जहाँ योजक छोड़ दिया जाता है । जैसे–सोनी बहुत खुश हुई, वह माँ बनने वाली थी न। विध्वंस एक दिन में हो सकता है, निर्माण नहीं।

3) दो बडे वाक्यांशों के बीच।

जैसे–परन्तु उनके कष्ट सहन से, उन कष्टों को मानव–कल्याण के प्रयत्नों में ढालने की उनकी शक्ति से आधुनिक युग को अजस्त्र जीवन–प्रेरणा मिली है।

4) हॉ, नहीं, जी, बस, अतः अतएव, निष्कर्षत; अच्छा आदि से शुरू होने वाले में इन शब्दों के बाद ।

जैसे–

जी हॉ, मैने बार–बार सावधान किया था उसे।

अच्छा, अवश्य जाऊँगा ।

5) संबोधित संज्ञा के बाद–

प्रखर, जरा इधर तो आइए ।

6) दी गई संज्ञा के विषय में विशेष सूचना के रूप में आनेवाली संज्ञा या सर्वनाम के पहले और बाद में । जैसे– रावण, लंका का राजा, बडा ही विद्वान था। बगदाद, इराक की राजधानी, बहुत ही सुन्दर महानगर है।

7) यदि कोई वाक्य प्रत्यक्ष कथन मे (Direct speech) हो तो मुख्य कथन के पहले जैसे– वैज्ञानिकों ने कहा है, ''पानी अमृत है । इसे बर्बाद मत करो ।''

8) जब परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों के बीच में पद, वाक्यांश या खंडवाक्य आकर उन्हें अलग–अलग कर दे तो उनके दोनों तरफ प्रयोग करें । जैसे–

- शिम्पी काकी, जिसके विषय में मै तुमसे बातें कर रहा था, बहुत ही अच्छा गाती है।

(i) नित्य–संबंधी शब्दों के जोड़ का दूसरा शब्द लुप्त रहे तो वहाँ भी यानी वाक्य में जहाँ कोई पद छूट गया हो और वहाँ उसकी अनिवार्यता लगे, उस स्थल पर अल्पविराम का प्रयोग होता है।
जैसे– वह जहाँ जाता है, बैठ जाता है। (अल्पविराम की जगह 'वहीं' की अनिवार्यता महसूस की जा रही है।)
वह कब तक आएगा, कहा नहीं जा सकता {'यह' छूटा है)

2. भावचिह्न

(क) प्रश्नबोधक (Question)– (?)

प्रश्न का बोध करानेवाले वाक्य के अंत में इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है । साधारणतः, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैंसे, क्यों, किसलिए आदि का प्रयोग रहने या यदि इनसे प्रश्न का भाव व्यंजित हो तो वाक्यान्त में इस चिह्न का प्रयोग किया जाएगा ।
जैसे–

- वह क्या खाता है?
- वहाँ कौन था?
- दादाजी कब आएँगे?

परन्तु, यदि प्रश्न का भाव व्यंजित नहीं हो तो प्रश्नवाचक चिह्न नहीं आएगा। जैसे–

- मैं क्या बताऊँ, श्रीमान! वह कब और कहाँ जाता हैं, समझ नहीं पा रहा ।

नोट : ध्यान रहे, प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं । जैसे– शिक्षक ने प्रश्न किया । बच्चा प्रश्न करता है ।

(ख) विस्मयादिबोधक चिह्न (Exclamation)– (!)

विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करनेवाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग होता है । जैसे–

- शाबाश ! इसी तरह सफल होते रहो ।
- आह ! कितना कठिन समय है ।
- छिः ! कितनी गंदी आदत है ।
- नीच ! तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी है ।

(ग) निर्देषक चिह्न (Dash) (–)

इस चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर होता है–

1) जहॉ उद्धरण देना है। जैसे–
   - भीषण गर्मी से– पशु पक्षी, गाय, घोड़ा, कोयल–सभी परेशान थे ।
   - इतने में कोई गरजा– ''रास्ता छोड़ो ।''
2) वार्तालाप में वक्ता के नाम के बाद। जैसे–
   रणधीर– तुम कब आओगे?
3) जहाँ वाक्य टूटता है। जैसे–
   इस घटना को अंजाम दिया आपमें से ही किसी ने – खैर, छोडिए इन बातों को–अंशुमान कैसा है?
   मेरी सहेली ने– ईश्वर उसका भला करे– संकट में मेरी सहायता की ।
4) वाक्य में किसी पद का अर्थ अधिक स्पष्ट करना हो या किसी बात को दुहराना हो । जैसे–
   वह उनकी एक बात पर जान देने को तैयार है– केवल एक बात पर ।
5) बार बार अर्थ की स्पष्टता के लिए । जैसे–
   आत्मनिर्भरता– अपने ऊपर भरोसा– अपनी मेहनत का सहारा उन्नति का मूलमंत्र है ।

(घ) योजक चिह्न (Hyphen)– (–)

द्वन्द्व समास के दो पदों के बीच, युग्म शब्दों के बीच, सहचर शब्दों के बीच में इसका प्रयोग देखा जाता है । जैसे–

- माता–पिता दोनों खुश थे।
- बेरोजगार इधर–उधर भटकते रहते हैं।
- 2007 की बाढ़ में सर्वत्र पानी–ही–पानी दिखाई पड़ रहा था।
- गाँव–का–गाँव डूब चुका था।

यदि दो पदों के बीच किसी परसर्ग (कारक–चिह्न) की उपस्थिति लगे तो वहाँ योजक का प्रयोग करना चाहिए ।
जैसे– पद–परिचय (पद का परिचय)
वहाँ पर कारक–चिह्न होगा । (कारक का चिह्न) ।

(ड.) कोष्ठक चिह्न (Bracket)– ()

इस चिह्न का प्रयोग सामान्यतया दो जगहों पर होता है :

1) किसी पद का अर्थ–स्पष्ट करने के लिए। जैसे–
   - सहर (सुबह) होते ही मजदूर निकल पड़े काम की तलाश में ।
   - वह अनवरत (लगातार) काम करता रहा।

2) वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए। भगत सिंह (उत्तेजित होकर) मैं मादरे हिन्द की खिदमत में अपना सिर चढ़ाने के लिए तैयार हूँ।

(च) उद्धरण–चिह्न/अवतरण–चिह्न – (" " / ' ')

यह चिह्न इकहरा एवं दुहरा दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है; किन्तु दोनों के प्रयोग में अन्तर है । इकहरे का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है :

1) वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति या कहावत में। जैसे – उससे जब कभी कहो कि अपना गायन प्रस्तुत करे तो वह कह बैठेगा, साज ही ठीक नहीं। इसे ही कहते हैं 'नाच न जाने ऑगन टेढा'।
2) किसी शब्द को High light करने के लिए। जैसे– वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भावादि के नाम को 'संज्ञा' कहते हैं।
3) किसी शब्द के व्यंग्यार्थ प्रयोग में ।
   जैसे–
   - चारों ओर मार–काट, आतंकवादी गतिविधियॉं, भ्रष्टाचार का बोलबाला, बच्चों तक का अपहरण, भयपूर्ण वातावरण, घर से निकलकर पुनः सही–सलामत लौटना– इसकी निश्चितता नहीं। आखिर क्यों न हो हमारा भारत 'महान्' जो है।

(छ) लाघव चिह्न (Short sign)– (0)

लघु (छोटा) से लाघव बना है। किसी प्रचलित बडे शब्द के छोटे रूप को (प्रथम अक्षर) दर्शाने के लिए इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे–

- पं. नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
- डॉ. मित्तल चक्षुरोग के लोकप्रिय चिकित्सक हैं।

उक्त वाक्यों में क्रमशः पं0– पण्डित के लिए और डॉ.– 'डॉक्टर' के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

(ज) विवरण–चिह्न – (: –)

1) जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तब इस चिह्न का प्रयोग होता है ।
   जैसे–
   - रूपान्तर की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार होते हैं : – विकारी एवं अविकारी ।
   - पद :– वाक्यों में प्रयुक्त शब्द अर्थवादी बनकर पद बन जाते हैं ।
2) विवरण–चिह्न का प्रयोग आवेदन–पत्र या प्रार्थना–पत्र में 'विषय' एवं 'द्वारा' के बाद होता है ।
   जैसे–
   सेवा में,
   श्रीमान प्राचार्य महोदय,
   बी0 पी0 एस0 पी0 एस0, नावकोठी ।
   द्वारा :– वर्ग शिक्षकक महोदय !
   विषय :– चार दिनों की छुट्टी हेतु ।

(झ) लोप चिह्न– (.....)

1) इस चिह्न का प्रयोग कई जगहों पर और विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है :
   (i). वाक्य में छोडे गए अंश के लिए ।
   जैसे–
   अरे ! अभी तक तुम ..... ।
   (ii). गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए ।
   जैसे–
   दारोगा ने उसे माँ–बहन संबंधी गाली देते हुए कहा ..... ।
   (iii). रिक्त स्थान दिखाने के लिए ।
   जैसे–
   जिसका आदि होता है, उसका ..... भी निश्चित है ।
2) कहानी आदि में सस्पेंस लाने या उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए भी परिणति को छुपाने के लिए इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

(ञ) त्रुटि–चिह्न/काकपद/हंसपद –(∧)

वाक्य में किसी पद या वाक्य के छूट जाने पर उस स्थान पर ही जहाँ इनका प्रयोग अपेक्षित था इस चिह्न का प्रयोग कर ठीक उसके ऊपर उस छूटे अंश को लिखा जाता है ।
जैसे –

- वह रोज ठीक $\overset{9}{\wedge}$ बजे दुकान खोलता है और रात के दस बजे दुकान बढ़ाकर घर आ जाता है।

(ट) अनुवृत्ति चिह्न– (,,)

जब लिखने में एक ही शब्द बार–बार ठीक नीचे लिखना पड़ता है तब इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है।
जैसे–

- आचार्य महावीर प्रसाद 'द्विवेदी'
- ,, हजारी प्रसाद 'द्विवेदी'
- ,, रामचन्द्र शुक्ल

8 CHAPTER संधि

संधि की परिभाषा

- दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है अर्थात् जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती है तो उसमें रूपान्तर आ जाता है, तब संधि कहलाती है।

जैसे –

प्रत्येक	–	प्रति + एक
विद्यालय	–	विद्या + आलय
जगदीश	–	जगत् + ईश
आशीर्वाद	–	आशीः + वाद

कामता प्रसाद के अनुसार

दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास–पास आने के कारण उनके मेल से विकार होता है, उसे संधि कहते है।

किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार

जब दो या दो से अधिक वर्ण पास–पास आते हैं तो कभी–कभी उसमें रूपान्तर आ जाता है वह संधि कहलाती है।

संधि विच्छेद

- वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते है। परिणामस्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः वर्णों/ध्वनि को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है।

जैसे–

वर्ण	+	मेल	=	संधि युक्त शब्द
रमा	+	ईश	=	रमेश
आ	+	ई	=	ए

- यहाँ (आ + ई) दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप 'ए' ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ।

संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना चाहिए।

जैसे–

शुभ	+	आगमन	–	शुभागमन
सत्	+	आचरण	–	सदाचरण
निः	+	ईश्वर	–	निरीश्वर

संधि के भेद		
स्वर संधि	**व्यंजन संधि**	**विसर्ग संधि**
(स्वर + स्वर का मेल) महा + आत्मा (आ + आ)	स्वर + व्यंजन → परि + छेद (इ + छ) व्यंजन + स्वर → दिक् + अम्बर (क् + अ) व्यंजन + व्यंजन → सत् + वाणी (त् + व्)	विसर्ग + स्वर → मनः + अविराम (: + अ) विसर्ग + व्यंजन → तपः + वन (: + व्)

1. स्वर संधि

स्वर से स्वर का जब मेल होता है तो उसमें विशेष विकार की स्थिति के उत्पन्न होनें को ही स्वर संधि कहा जाता है।

जैसे– विद्यार्थी – विद्या + अर्थी

आ + अ = आ

स्वर संधि के मुख्यतः पाँच भेद होते है–

स्वर संधि के भेद

दीर्घ संधि | गुण संधि | वृद्धि संधि | यण संधि | अयादि संधि

(i) दीर्घ संधि

- इस संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते है।
- यदि अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, के बाद वे ही (अर्थात् समान) लघु या दीर्घ स्वर आ जायें तो दोनों मिलकर आ, ई, ऊ, ॠ हो जाते हैं।

(अ + अ = आ)

अ + अ = आ	(i) युग + अन्तर = युगान्तर युग् अ + अन्तर युगान्तर युग् आ न्तर युग् अ + अन्तर युग + अन्तर	(ii) स्व + अर्थ = स्वार्थ स्व् अ + अर्थ आ स्व् आ र्थ स्वार्थ
अ + आ = आ	(i) हिम + आलय = हिमालय हिम् अ + आ लय आ हिम् आ लय हिमालय	(ii) गमन + आगमन = गमनागमन गमन् अ + आगमन आ गमन् आ गमन गमना गमन
आ + अ = आ	(i) तथा + अपि = तथापि तथ् आ + अ पि आ त थ् आ पि तथापि	(ii) महा + अमात्य = महामात्य मह् आ + अमात्य आ म ह् आ मात्य महामात्य
आ + आ = आ	(i) प्रेरणा + आस्पद = प्रेरणास्पद प्रेरण् आ + आ स्पद आ प्रेरण् आ स्पद प्रेरणास्पद	(ii) चिकित्सा + आलय = चिकित्सालय चिकित्स् आ + आलय आ चिकित्स् आ लय चिकित्सालय
इ + इ = ई	(i) अति + इव = अतीव अत् + इव ई अत् + ई व अतीव	(ii) कवि + इन्द्र = कवीन्द्र क व् इ + इन्द्र ई क व् ई न्द्र कवीन्द्र
इ + ई = ई	प्रति + ईक्षा = प्रतीक्षा प्रत् इ + ईक्षा ई प्र त् ई क्षा प्रतीक्षा	
ई + इ = ई	मही + इन्द्र = महीन्द्र मह् ई + इन्द्र ई मह् इन्द्र महीन्द्र	
ई + ई = ई	नारी + ईश्वर = नारीश्वर ना र् ई + ईश्वर नार् ई श्वर नारीश्वर	

Toppersnotes Unleash the topper in you

उ + उ = ऊ	गुरू + उपदेश = गुरूपदेश गुर् उ + उपदेश ऊ गुर् + ऊ पदेश गुरूपदेश	
उ + ऊ = ऊ	लघु + ऊर्मि = लघूर्मि ल घ् उ + ऊर्मि ऊ लघ् ऊ र्मि लघूर्मि	
ऊ + ऊ = ऊ	सरयू + ऊर्मि = सरयूर्मि सरय् ऊ + ऊर्मि ऊ सरय् उ र्मि सरयूर्मि	
ऋ + ऋ = ॠ	पितृ + ऋण = पितृण पित् ऋ + ऋण ॠ पित् ॠ ण पितृण	

नोट – ऐसे ऋ वाली संधियो से बने दीर्घ ॠ वाले शब्द हिन्दी में प्रचलित नही है।

दीर्घ संधि के उदाहरण

अन्नाभाव	–	अन्न + अभाव	अ + अ = आ	परम + अर्थ = परमार्थ
भोजनालय	–	भोजन + आलय	अ + आ = आ	
विद्यार्थी	–	विद्या + अर्थी	आ + अ = आ	
महात्मा	–	महा + आत्मा	आ + आ = आ	
गिरीन्द्र	–	गिरि + इन्द्र	इ + इ = ई	रवि + इन्द्र = रवीन्द्र
महीन्द्र	–	मही + इन्द्र	ई + इ = ई	
गिरीश	–	गिरि + ईश	इ + ई = ई	
रजनीश	–	रजनी + ईश	ई + ई = ई	
भानूदय	–	भानु + उदय	उ + उ = ऊ	मुनी + इन्द्र = मुनीन्द्र
वधूत्सव	–	वधू + उत्सव	ऊ + उ = ऊ	अभीप्सा = अभि + ईप्सा
रामावतार	–	राम + अवतार	अ + अ = आ	भय + आक्रांत = भयाकृांत
सत्यार्थी	–	सत्य + अर्थी	अ + अ = आ	स्नेह + आविष्ट = स्नेहाविष्ट
रामायण	–	राम + अयन	अ + अ = आ	न का ण में परिवर्तित
धर्माधर्म	–	धर्म + अधर्म	अ + अ = आ	
पराधीन	–	पर + अधीन	अ + अ = आ	
पुण्डरीकाक्ष	–	पुण्डरिक + अक्ष	अ + अ = आ	

दैत्यारि	–	दैत्य + अरि	अ + अ = आ	
शताब्दी	–	शत + अब्दी	अ + अ = आ	
धर्मार्थ	–	धर्म + अर्थ	अ + अ = आ	
मुरारि	–	मुर + अरि	अ + अ = आ	
नीलाम्बर	–	नील + अम्बर	अ + अ = आ	
परमार्थ	–	परम + अर्थ	अ + अ = आ	
रूद्राक्ष	–	रुद्र + अक्ष	अ + अ = आ	
स्वाधीन	–	स्व + अधीन	अ + अ = आ	
गीताजंली	–	गीत + अंजली	अ + अ = आ	
दीपावली	–	दीप + अवली	अ + अ = आ	
प्रार्थी	–	प्र + अर्थी	अ + अ = आ	
छिद्रान्वेषी	–	छिद्र + अन्वेषी	अ + अ = आ	
मूल्यांकन	–	मूल्य + अंकन	अ + अ = आ	
अन्त्याक्षरी	–	अंत्य + अक्षरी	अ + अ = आ	
सापेक्ष	–	स + अपेक्ष	अ + अ = आ	
अभयारण्य	–	अभय + अरण्य	अ + अ = आ	
सत्यार्थी	–	सत्य + अर्थी	अ + अ = आ	
नारायण	–	नर + अयन	अ + अ = आ	कंटक + आकीर्ण = कंटाकाकीर्ण
परमात्मा	–	परम + आत्मा	अ + आ = आ	
पदावलि	–	पद + अवलि	अ + आ = आ	
रत्नाकर	–	रत्न + आकर	अ + आ = आ	
निगमागमन	–	निगम + आगमन	अ + आ = आ	
पद्माकर	–	पद्म + आकर	अ + आ = आ	
शरणागत	–	शरण + आगत	अ + आ = आ	
सत्याग्रह	–	सत्य + आग्रह	अ + आ = आ	
विद्याध्ययन	–	विद्या + अध्ययन	आ + अ = आ	
परीक्षार्थी	–	परीक्षा + अर्थी	आ + अ = आ	
रेखांकित	–	रेखा + अंकित	आ + अ = आ	
मुक्तावली	–	मुक्ता + अवली	आ + अ = आ	
दावानल	–	दावा + अनल	आ + अ = आ	
तथापि	–	तथा + अपि	आ + अ = आ	
महाशय	–	महा + आशय	आ + आ = आ	
द्राक्षासव	–	द्राक्षा + आसव	आ + आ = आ	
विद्यालय	–	विद्या + आलय	आ + आ = आ	
महात्मा	–	महा + आत्मा	आ + आ = आ	
प्रेरणास्पद	–	प्रेरणा + आस्पद	आ + आ = आ	
कवीन्द्र	–	कवि + इन्द्र	इ + इ = ई	
अतिव	–	अति + इव	इ + इ = ई	

Unleash the topper in you

अभीष्ट	–	अभि + इष्ट	इ + इ = ई	
अतीव	–	अति + इत	इ + ई = ई	
महीन्द्र	–	मही + इन्द्र	ई + इ = ई	
महतीच्छा	–	महती + इच्छा	ई + इ = ई	
कपीश	–	कपि + ईश	इ + ई = ई	
प्रतीक्षा	–	प्रति + ईक्षा	इ + ई = ई	
अधीक्षण	–	अधि + इक्षण	ई + इ = ई	
अभीप्सा	–	अभि + ईप्सा	इ + ई = ई	
नारीश्वर	–	नारी + ईश्वर	ई + ई = ई	प्रति + ईक्षा = प्रतीक्षा
सतीश	–	सती + ईश	ई + ई = ई	
लघूत्तम	–	लघु + उत्तम	उ + उ = ऊ	
सूक्ति	–	सु + उक्ति	उ + उ = ऊ	
अनूदित	–	अनु + उदित	उ + उ = ऊ	
गुरूपदेश	–	गुरु + उपदेश	उ + उ = ऊ	
भानूदय	–	भानु + उदय	उ + उ = ऊ	
सिंधूर्मि	–	सिंधु + ऊर्मि	उ + ऊ = ऊ	
भानूर्जा	–	भानु + ऊर्जा	उ + ऊ = ऊ	
वधूत्सव	–	वधू + उत्सव	ऊ + उ = ऊ	
चमूत्तम	–	चमू + उत्तम	ऊ + उ = ऊ	
मातृण	–	मातृ + ऋण	ऋ + ऋ = ॠ	
होतृकार	–	होतृ + ऋकार	ऋ + ऋ = ॠ	

दीर्घ संधि की पहचान

दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांश आ, ई, ऊ की मात्राएँ (ा, ी, ू) आती है और इनका विच्छेद इन्ही मात्राओं से किया जाता है। जैसे – विद्यालय – विद्या + आलय

अपवाद

शक + अन्धु = शकन्धु मूसल + धार = मूसलाधार

कर्क + अन्धु = कर्कन्धु मनस् + ईषा = मनीषा

विश्व + मित्र = विश्वामित्र युवन् + अवस्था = युवावस्था

(ii) गुण संधि

- जब अ, आ के बाद इ, ई आए तब दोनों मिलकर 'ए' हो जाते है।
  जैसे– देवेन्द्र – देव + इन्द्र (अ + इ = ए)
- अ, आ के बाद उ, ऊ आए तो दोनों मिलकर 'ओ' हो जाते हैं।
  जैसे– वीरोचित – वीर + उचित (अ + उ = ओ)
- अ, आ के बाद ऋ, आए तो दोनों मिलकर अर् हो जाते हैं।
  जैसे–महर्षि–महा + ऋषि (आ + ऋ = अर)

गुण संधि की पहचान

गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशत ए, ओ की मात्राएँ (े, ो) या र् आता है (र्) और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है।

गुण संधि को समझाने का तरीका

अ + इ = ए	गज + इन्द्र = गजेन्द्र गज् अ + इन्द्र ए गज् ऐ न्द्र गजेन्द्र नर + इन्द्र = नरेन्द्र